



JALAUN POLICE

दिनांक – 17.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त शेर सिंह पुत्र भगवान दीन खंगार नि० ग्राम लैकूपुर थाना आटा जनपद जालौन द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया था जिसके संबंध में थाना आटा में दिनांक 19.03.20 को मु०अ०सं० 48/20 (वाद संख्या 14/20) धारा 376/452 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 19.06.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 17.05.2025 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शेर सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।